



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मार्च 30, 2006/चैत्र 9, 1928

No. 308]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 2006/CHAITRA 9, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग )

( पी एंड एम अनुभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2006

का.आ. 460(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिनियम की अनुसूची में,—

(i) क्रम सं. 2क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

क्रम सं०	राष्ट्रीय राजमार्ग सं०	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन
1	2	3
"2ख	1घ	जम्मू-कश्मीर राज्य में कारगिल को जोड़ते हुए श्रीनगर से आरंभ होने वाला और लेह पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।"

(ii) क्रम सं. 46 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन
1	2	3
"46क	एनई II	रा.सं. 1 से रा.सं. 2 को जोड़ने वाला पूर्वी बाह्य एक्सप्रेसवे (निर्माणधीन)।"

[फ़. सं. एनएच-14012/3/2006-पीएंडएम]

प्रभाकर, उप सचिव

टिप्पण:— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, उक्त अधिनियम के साथ राजपत्र में अधिसूचना सं. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 257(अ), तारीख 25 फरवरी, 2004 द्वारा किया गया।

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****(Department of Road Transport and Highways)****(P AND M SECTION)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th March, 2006

**S.O. 460(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Schedule to the said Act, namely:—

In the Schedule to the said Act,—

(i) after serial number 2A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

Serial No.	National Highway No.	Description of National Highways
1	2	3
"2B	ID	The highway starting from Srinagar connecting Kargil and terminating at Lch in the State of Jammu and Kashmir."

(ii) after serial number 46 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

Serial No.	National Highway No.	Description of National Highways
1	2	3
"46A	NE II	Eastern Peripheral Expressway (under construction) connecting NH No. 1 to NH No. 2."

[F. No. NH-14012/3/2006-P&amp;M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

**Note :—** The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act vide Notification No. 1180 dated the 4th April, 1957 and was last amended vide Notification No. S.O. 257(E) dated 25th February, 2004.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2006

**का.आ. 461(अ).**—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (1) में यथा उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने यथा उल्लिखित तत्स्थानी खंड के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट भू-भाग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

**सारणी**

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	सेक्शन	किलोमीटर में भू-खण्ड
1	2	3
एनई II	रा.रा. सं. 1 को रा.रा.सं. 2 से जोड़ने वाला पूर्वी बाह्य एक्सप्रेसवे (निर्माणाधीन)	134 किमी.

[फा. सं. एनएच-14012/3/2006-पीएंडएम]

प्रभाकर, उप सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th March, 2006

**S.O. 461(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch as specified in column (3) of the Table annexed hereto, of the corresponding Section as mentioned against it in column (2) of the said Table, of the National Highway as described in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India.

**TABLE**

National Highway No.	Section	Stretch in Kilometre
1	2	3
NE II	Eastern Peripheral Expressway (under construction) connecting NH No. 1 to NH No. 2	134km

[F. No. NH-14012/3/2006-P&amp;M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2006

**का.आ. 462(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि सीमा सड़क संगठन, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (1) में यथा उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के स्तंभ (2) में उसके सामने यथावर्णित तत्स्थानी खंड के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट सड़क के विकास और अनुरक्षण से संबंधित कृत्य करेगा।

**सारणी**

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	सेक्शन	किलोमीटर में लंबाई
1	2	3
1 घ	श्रीनगर-कारगिल-लेह	422 किमी.

[फा. सं. एनएच-14012/3/2006-पीएंडएम]

प्रभाकर, उप सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th March, 2006

**S.O. 462(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the Border Roads Organisation shall exercise the function relating to the development and maintenance of the Road as specified in column (3) of the Table annexed hereto, of the corresponding Section as mentioned against it in column (2) of the National Highway as described in column (1) thereof.

**TABLE**

National Highway No.	Section	Length in Kilometer
1	2	3
1D	Srinagar-Kargil—Leh	422 km.

[F. No. NH-14012/3/2006-P&amp;M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.